



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Thursday, 21 Nov , 2024

Edition: International Table of Contents

	जलवायु परिवर्तन जलीय कृषि में सबसे बड़ा
Page 04	व्यवधान है: FAO
Syllabus : GS 3 : पर्यावरण	
Page 04	प्रधानमंत्री ने भारत और 'कैरिकॉम' के बीच संबंधों
Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा
Page 06 Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	ग्रहीय संकट बच्चों को जोखिम में डालता है: यूनिसेफ रिपोर्ट
Page 07 Syllabus : GS : 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	कृषि पद्धति के आधार पर जीएम फसलें भूख से लड़ने में मदद कर सकती हैं
Page 10 Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	पीएम विद्यालक्ष्मी अन्य योजनाओं से किस तरह अलग है?
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : शासन और सामाजिक न्याय	भारतीय जेलों में सुलभता और गरिमा के लिए लंबी लड़ाई



Page 04: GS 3: Environment – Climate change

एफएओ ने भारत के जलीय कृषि और मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें समुद्री उत्पादकता में कमी और मछली की संरचना में बदलाव पर जोर दिया गया है।

 इसने भारत से टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, मछली पकड़ने के उपकरणों को अनुकूलित करने और मछली की किस्मों में विविधता लाने का आग्रह किया।

Climate change is the biggest disruptor in aquaculture: FAO

A.M. Jigeesh NEW DELHI

The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations has offered its technical expertise and knowledge to deal with the impact of climate change on the country's aquaculture and the fishing community engaged with it.

Talking to The Hindu here on Wednesday, Manuel Barange, Director of the Fisheries and Aquaculture Division of the FAO, said that with the climate changing, the oceans will produce less and the composition of the fish catches will also change. Urging for policy measures to help micro, small and medium players in the "blue economy," Professor Barange said India has to adapt to the situation by taking measures such as changing fishing gears being used and marketing new varieties of fish so that the consumers have access to oth-



Manuel Barange

er breeds of fish than they are accustomed to.

"Aquaculture has a great potential and it is the fastest growing food production system in the world for many decades. In India, it is growing faster than the global average. To realise that potential we need to make sure that we have some systems in place. We need to make sure that it grows sustainably, it grows equitably."

"So, what is very important is to adapt. Adaptation is crucial. You might actually need to change the fish that you catch," he said.







मत्स्य पालन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- 🟓 जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में कम मछलियाँ पैदा होंगी, जिससे मछली पकड़ने की संरचना में बदलाव आएगा।
- भारत को अपने जलीय कृषि और मछली पकड़ने के क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए इन परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए।

FAO द्वारा सिफारिशें

- विविधीकरण: यह उपभोक्ताओं को वैकल्पिक मछली किस्मों के विपणन की वकालत करता है, जिससे पारंपिरक प्रजातियों से दूर जाने में मदद मिलती है।
- एमएसएमई के लिए समर्थन: एफएओ ने नीली अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए नीतिगत उपायों का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिस्पर्धी बने रहें।
- संधारणीय प्रथाएँ: विकास को पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संतुलित करने के लिए संधारणीय जलीय कृषि प्रथाओं के महत्व पर जोर देता है।
- अनुसंधान और नवाचार: एफएओ मछली पालन तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिसमें दक्षता में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मछली पकड़ने के गियर को अनुकुलित करना शामिल है।

जलकृषि की विकास क्षमता

- विकास में भारत का नेतृत्व: भारत की जलीय कृषि विकास दर वैश्विक औसत से अधिक है, जो उत्पादन के विस्तार में महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करती है।
- रोजगार सृजन: जलीय कृषि में रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने की क्षमता है, खासकर तटीय और ग्रामीण समुदायों के लिए।
- खाद्य सुरक्षाः जैसे-जैसे प्रोटीन की वैश्विक मांग बढ़ती है, जलीय कृषि जंगली मत्स्य पालन पर निर्भरता को कम करते हुए भविष्य की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
- तकनीकी उन्नति: खेती की तकनीकों और संधारणीय प्रथाओं में निरंतर नवाचार उत्पादन दक्षता को और बढ़ा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है।

संधारणीयता और समानता पर ध्यान दें

- 🔷 जलीय कृषि क्षेत्र में संधारणीय और न्यायसंगत विकास पर जोर दें ताकि इसकी पूरी क्षमता का एहसास हो सके।
- 🟓 उद्योग और समुदायों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन महत्वपूर्ण है।





Page 04: Prelims Fact

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वितीय भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-कैरिकॉम संबंधों को मजबूत करने के लिए सात-स्तंभीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इस यात्रा ने कैरेबियाई क्षेत्र के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को चिह्नित किया।

Prime Minister proposes seven key pillars to strengthen ties between India, 'CARICOM'

Press Trust of India

GEORGETOWN (GUYANA)

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday proposed seven key pillars to strengthen ties between India and 'CARICOM' as he held talks with the Caribbean partner countries focusing on areas such as trade, technology and tourism among others.

Mr. Modi, who arrived in Guyana on Wednesday the first visit by an Indian head of the State in more than 50 years, made the remarks as he joined leaders from the Caribbean partner countries for the second India-CARICOM Summit here. They discussed ways to strengthen ties in areas



Narendra Modi receives a warm welcome from Guyana President Mohamed Irfaan Ali on his arrival, in Georgetown on Wednesday. ANI

such as economic cooperation, agriculture and food security, health and pharmaceuticals, and science and innovations.

During the summit, Mr. Modi proposed seven key pillars to strengthen ties

between India 'CARICOM'.

Mr. Modi also said that "to promote five Ts trade, technology, tourism, talent and tradition, an online portal could be made to connect the private sector and stakeholders of all countries."

"India is moving ahead in the SME [small and medium enterprises] sector. During the India-CARICOM meeting last year, we had announced a grant of one million dollars for SME sectors. We should focus on its implementation now," Mr. Modi said.

CARICOM Heads of Government and the Prime Minister last met in 2019 on the margins of the 74th Session of the United Nations General Assembly (UNGA), where they discussed cooperation modalities in renewable energy climate change through a \$150 million credit line from India.

During the summit, Guyana President Irfaan Ali said, "[I want to] thank you and people of India for your selfless attributes when you delivered to this region the first set of vaccines during the COVID pandemic."

According to the Ministry of External Affairs (MEA), there are around 3.2 lakh people of Indian origin in Guyana.

The Prime Minister arrived here from Brazil where he attended the G-20 Summit and also met with global leaders, including U.S. President Joe Biden, French President Emmanuel Macron and U.K. Prime Minister Starmer.

समाचार का विश्लेषण:

- 🔷 भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सात स्तंभों वाली रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। ये स्तंभ, जो संक्षिप्त रूप से "C.A.R.I.C.O.M." बनाते हैं, वे हैं:
- क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण और शिक्षा पहलों के माध्यम से कौशल और क्षमताओं को बढाना।
- कृषि और खाद्य सुरक्षाः कृषि पद्धितयों को बेहतर बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।
 नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तनः स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त प्रयास।
- नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार: नवाचार, तकनीकी उन्नति और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना।
- 🕩 क्रिकेट और संस्कृति: सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और क्रिकेट को एक साझा जुनून के रूप में बढ़ावा देना।
- महासागर अर्थव्यवस्था: आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का लाभ उठाना।
- चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग करना।

कैरिकॉम (कैरिबियन समुदाय) - मुख्य जानकारी

🔷 स्थापना: 1973 में चगुआरामास की संधि के माध्यम से स्थापित। सदस्य: इसमें 15 पूर्ण सदस्य, 5 सहयोगी सदस्य और 8 पर्यवेक्षक शामिल हैं, जिनमें कैरिबियन क्षेत्र के राष्ट्र शामिल हैं।





- 🖈 उद्देश्य: आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- आर्थिक लक्ष्य: क्षेत्र के भीतर व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एकल बाजार और अर्थव्यवस्था की वकालत करना।
- 🔷 फोकस क्षेत्र: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन।
- मुख्यालयः जॉर्जटाउन, गुयाना में स्थित है।







Page 06: GS 2: Social Justice - Vulnerable Section & International Relations

यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट में जलवायु संकट, जनसांख्यिकीय बदलाव और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के बच्चों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

- इसमें चेतावनी दी गई है कि लगभग एक अरब बच्चे जलवायु संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका बाधित हो रही है।
- 🟓 उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और डिजिटल पहुंच में असमानताएं अतिरिक्त जोखिम और अवसर पैदा करती हैं।

Planetary crisis puts children at risk: UNICEF report


Bindu Shajan Perappadan NEW DELHI

The world is facing an unprecedented planetary crisis with nearly half the world's children – about one billion – living in countries that face high risk of climate and environmental hazards, said the UNICEF's State of the World's Children 2024 (SOWC-2024) report, released on Wednesday.

The report examines impact of three long-term global forces – demographic shifts, climate and environmental crises, and frontier technologies – which it claims will have a profound effect on children's lives between now and 2050.

The report notes that climate destabilisation, biodiversity collapse and widespread pollution threats are intensifying globally.

"Children are confront-



SOURCE: THE STATE OF THE WORLD'S CHILDREN 2024, UNICEF

ing a more unpredictable, hazardous environment than any previous generation," it warns.

Explaining the adverse impact, UNICEF said that children's developing bodies are uniquely susceptible to these hazards.

From before their first breath, children's brains, lungs and immune systems are vulnerable to pollution and extreme weather. Air pollution is especially harmful to children; its impact on their respiratory health and development can last a lifetime.

Rising temperatures increase mosquito populations, spreading diseases such as malaria, dengue and Zika. Floods contaminate water supplies, leading to waterborne diseases, which are a major cause of death for children under five years of age. Extreme weather limits food production and access, increasing children's risk of food insecurity. Climate-related disasters can also cause feelings of helplessness, trauma and anxiety in children, the report notes.

"Since 2022, 400 million students around the world have experienced school closures due to ex-

treme weather. In addition to violating child rights, inhibiting learning stifles economic growth. Climate and environmental hazards also displace children from their homes," the report states.

Additionally, it notes that by the 2050s, the global child population is projected to stabilise at around 2.3 billion. However, this global figure obregional shifts scures where while South Asia will remain one of the regions with the largest child populations, it will be joined by eastern and southern Africa, as well as western and Central Africa.

"These regions already struggle to meet children's basic needs, while also facing significant climate risks and lacking adequate digital infrastructure," says the report adding that with fewer young dependents relative to workers, more resources could be freed to support children and boost the economy.

On frontier technologies, the report notes that artificial intelligence, neurotechnology, next-generation renewable energy and vaccine breakthroughs could significantly improve childhood in the future.

"Digitalisation can empower children but it can also expose children to online risks, including sexual exploitation and abuse," the report cautions.

It adds that over 95% of people in high-income countries are connected to the Internet, compared with barely 26% in low-income countries. Infrastructure limitations, high costs and permission barriers continue to impede progress. This digital exclusion threatens to exacerbate existing inequalities, especially in regions with rapidly growing child populations.

बच्चों के लिए अभूतपूर्व ग्रहीय संकट

- लगभग एक अरब बच्चे, या वैश्विक बाल आबादी का आधा हिस्सा, जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के उच्च जोखिम वाले देशों में रहते हैं।
- रिपोर्ट में 2050 तक बच्चों पर जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के तिहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम

- बच्चों को जलवायु अस्थिरता, जैव विविधता पतन और प्रदूषण के खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक खतरनाक और अप्रत्याशित वातावरण बनता है।
- बच्चों के विकासशील शरीर प्रदूषण और चरम मौसम के प्रभावों के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं, जिससे आजीवन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं।

स्वास्थ्य और कल्याण के खतरे





- 🟓 वायु प्रदूषण बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- 🔷 बढ़ते तापमान से मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी बीमारियों का प्रसार बढ़ता है।
- बाढ़ जल आपूर्ति को दूषित करती है, जिससे जलजनित बीमारियाँ होती हैं, जो पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एक बड़ी हत्यारी है।
- 🟓 चरम मौसम खाद्य उत्पादन को बाधित करता है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का जोखिम बढ़ जाता है।

शिक्षा और विस्थापन

- वर्ष 2022 से, 400 मिलियन छात्रों को चरम मौसम के कारण स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा है, जिससे बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।
- 🕩 जलवायु संबंधी आपदाएँ बच्चों को विस्थापित करती हैं, जिससे आघात, असहायता और चिंता होती है।

जनसांख्यिकीय बदलाव

 वर्ष 2050 तक, बच्चों की आबादी 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाएगी, जिसमें वृद्धि दक्षिण एशिया और अफ्रीका में केंद्रित होगी, जो पहले से ही जलवायु जोखिमों और खराब डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं।

अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ

- AI, नवीकरणीय ऊर्जा और वैक्सीन सफलता जैसी प्रौद्योगिकियाँ बचपन को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन डिजिटल बिहष्कार और ऑनलाइन दुर्व्यवहार जैसे जोखिम भी पैदा करती हैं।
- ➡ जबिक उच्च आय वाली 95% आबादी ऑनलाइन है, कम आय वाले देशों में केवल 26% के पास इंटरनेट का उपयोग है, जिससे असमानताएँ और भी गहरी हो गई हैं।





Page 07: GS: 3: Science and Technology

यह आलेख वैश्विक खाद्य मांग को स्थायी रूप से पूरा करने में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों की भूमिका का पता लगाता है। **GM crops can help fight hunger**

depending on farming method

Tools like CRISPR help scientists make targeted changes to a plant's genome. People are also accepting GM when the plant doesn't have foreign genes. But the costs of regulation and ensuring nothing harmful enters the market is still too high for institutions that don't only work for profit



What's complicated about GMs is you're not just adding a new genetic organism, you're also adding a whole suite of management changes that come along with it RISA SARGENT Ecologist



Somewhat we will be depend on who be the clients a sectional pestidide's toxicity by testing its short erem effects on anis, but what it will be depend on who be and what it will be depend on who be an anison of the clients a sectional pestidide's toxicity by testing its short erem effects on anis, but setting its short erem effects on anis, but sh विषाक्तता और जैव विविधता प्रभाव जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। लाभों को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने के लिए संतुलित विनियमन और एकीकृत कीट प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं।





खाद्य और संधारणीय कृषि की बढ़ती आवश्यकता

- बढ़ती वैश्विक आबादी के साथ, खाद्य की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन कृषि भूमि का विस्तार असंधारणीय रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है।
- 🟓 वनों की कटाई और अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग जैसी प्रथाएँ मिट्टी, भूजल और जैव विविधता को नष्ट करती हैं।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) फसलें खाद्य उत्पादन को संधारणीय रूप से बढ़ाकर एक संभावित समाधान प्रदान करती हैं।

जी.एम. फसलें कैसे काम करती हैं

- 🟓 जी.एम. फसलों को कीटों, शाकनाशियों और पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है।
- ⇒ उदाहरण के लिए, बैसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी) जीन वाली फसलें विशिष्ट कीटों को मारने के लिए विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती हैं, जिससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है।
- शाकनाशी-सिहष्णु (एच.टी.) जी.एम. फसलें किसानों को फसलों को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवारों को अधिक कुशलता से नियंत्रित करने में मदद करती हैं।

जी.एम. फसलों के लाभ

- बीटी फसलों ने कीटनाशकों के उपयोग को कम किया है, किसानों की सुरक्षा में सुधार किया है और पर्यावरण विषाक्तता को कम किया है।
- एच.टी. फसलें बिना जुताई वाली खेती को बढ़ावा देती हैं, मिट्टी में कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं और कार्बन पृथक्करण में सुधार करती हैं।
- 🟓 जी.एम. फसलों को पैदावार और पोषण सामग्री में सुधार के लिए संशोधित भी किया जा सकता है।

चुनौतियाँ और जोखिम

- कीट और खरपतवार समय के साथ बी.टी. विषाक्त पदार्थों और शाकनाशियों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, जिसके लिए विविध रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- शाकनाशियों, विशेष रूप से ग्लाइफोसेट के बढ़ते उपयोग ने विषाक्तता और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- 🟓 विशिष्ट शाकनाशियों का अत्यधिक उपयोग दवा में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के समान है।

विनियमन और प्रौद्योगिकी की भूमिका

- 🔷 जी.एम. फसलों का विनियमन बहुत महंगा है, जिससे छोटे खिलाड़ियों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए प्रवेश सीमित हो जाता है।
- ➡ CRISPR जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ विकास लागत को कम कर सकती हैं, लेकिन विनियामक बाधाओं से बाधित रहती हैं।

व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव

- 🔷 जी.एम. फसलों के जैव विविधता पर प्रभाव के साक्ष्य सीमित हैं और अक्सर उद्योग-प्रायोजित अनुसंधान से प्रभावित होते हैं।
- आवास की क्षिति, शहरीकरण और जलवायु पिरवर्तन भी जैव विविधता में गिरावट में योगदान करते हैं, जिससे जीएम खेती को जिम्मेदार ठहराना जिटल हो जाता है।

एकीकृत कीट प्रबंधन

• विशेषज्ञ साक्ष्य-आधारित कीट प्रबंधन प्रथाओं के साथ संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं, अत्यधिक शाकनाशी निर्भरता से बचते हैं।





▶ फसल चक्र और न्यूनतम खरपतवार की उपस्थिति की अनुमित देने से प्रितरोध और कृषि-रासायिनक निर्भरता कम हो सकती है।

निष्कर्ष

- जबिक जीएम फसलें कृषि दक्षता को बढ़ाती हैं, उनके विकास, विनियमन और पर्यावरणीय प्रभावों पर संतुलित विचार की आवश्यकता होती है।
- वैश्विक खाद्य जरूरतों को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए नवीन, समावेशी और एहतियाती कृषि प्रथाओं की आवश्यकता होती है।







Page 10: GS 2: Social Justice-Health

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एनआईआरएफ-रैंक वाले संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है, जिससे मध्यम आय वाले परिवारों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।

 यह ऋण प्रक्रिया को सरल बनाता है, लेकिन पात्रता को कम संस्थानों तक सीमित करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और पहुंच सीमित होती है।

How does PM Vidyalaxmi differ from other schemes?

Does this central scheme cover middle-income students? Does it depend on NAAC and NBA certifications? Why have a lot of institutions been left out from the list?

Ravina Warkad

The story so far:

n November 6, the Union
Cabinet chaired by Prime
Minister Narendra Modi
approved a new Central Sector
Scheme, PM Vidyalaxmi, which seeks to
provide financial support to meritorious
students applying for higher education.
Students will now be eligible to get
collateral-free, guarantor-free loans from
banks and financial institutions to cover
the full amount of tuition fees and other
expenses related to the course.

What does the scheme cover?

The government has said that students who have gained admission in 860 quality higher education institutions, as defined by the National Institutional Ranking Framework (NIRF), are eligible for the

loans. The scheme will potentially cover 22 lakh students, a Ministry of Education spokesperson said. For students with an annual family income of up to ₹8 lakh, and not eligible for benefits under any other government scholarship, a 3% interest subvention for loans up to ₹10 lakh will be provided during the moratorium period. The interest subvention support will be given to one lakh students every year. Preference will be given to students from government institutions who have opted for technical or professional courses. "An outlay of ₹3,600 crore has been made during 2024-25 to 2030-31, and seven lakh fresh students are expected to get the benefit of this interest subvention during the period," the Ministry added.

What about past schemes? PM Vidyalaxmi differs from previous central government schemes in the number of institutions eligible, mode of processing of loans, the income cap, and the amount of money to be disbursed. For example, students can apply for loans through the Vidyalaxmi portal, which simplifies loan applications and has links to all major public sector as well as private banks. It also facilitates the tracking of the loan status.

Moreover, while previous schemes offered benefits to only low-income groups, the Vidyalaxmi scheme expands coverage to middle-income families, irrespective of other factors such as caste.

For earlier schemes, the eligible institutions needed to be accredited with the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and the National Board of Accreditation (NBA). With 820 universities of NAAC and 15,501 colleges, along with 3,348 NBA

institutions. However, under Vidyalaxmi, only institutions with NIRF ranks are eligible. This means that the scheme will be applicable to all government and private institutions ranked within the top 100 in NIRF rankings in the overall list as well as all institutions in the category-specific and domain-specific lists. Professor O R S Rao, Chancellor, ICFAI University, Sikkim, who helped to compile the list of universities eligible for the scheme, says the list does not feature 860 unique institutes as some are ranked in multiple categories. An institute has to register for the ranking as a prerequisite to feature in the rankings. While some institutions apply to a single category, some others apply for multiple categories and hence feature on more than one list.

What are the implications?

Rankings are now becoming more and more important with loan eligibility being conditional on them. As this scheme significantly reduces the number of eligible institutions, the stakes of performing well in higher education entrance tests just got higher. Banker Thomas Franco said that this makes it difficult for students who do not have excellent marks to avail the loan. Banks may charge higher rates of interest for other institutions or straight away reject them if they don't have a good rank.

THE GIST

On November 6, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved a new Central Sector Scheme, PM Vidyalaxmi, which seeks to provide financial support to meritorious students applying for higher education.

PM Vidyalaxmi differs from previous central government schemes in the number of institutions eligible, mode of processing of loans, the

income cap, and the amount of money to be disbursed.

Rankings are now becoming more and more important with loan eligibility being conditional on them.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का परिचय

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6 नवंबर को केंद्रीय क्षेत्र की योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दी।
- 🟓 छात्र ट्यूशन फीस और संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

योजना कवरेज

- 🔷 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत रैंक किए गए 860 संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र पात्र हैं।
- इस योजना का उद्देश्य 22 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाना है, खासकर उन छात्रों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख तक है।
- 🟓 10 लाख तक के ऋण के लिए, एक लाख छात्रों को सालाना ऋण स्थगन अविध के दौरान 3% ब्याज छूट उपलब्ध है।
- 🔷 तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती हैं।
- सरकार ने 2024-25 से 2030-31 के लिए ₹3,600 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे संभावित रूप से सात लाख नए छात्रों को लाभ होगा।

पिछली योजनाओं से तुलना

विद्यालक्ष्मी मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ प्रदान करती है और विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदनों को सरल बनाती है।





➡ पिछली योजनाओं के विपरीत, जो NAAC और NBA मान्यता पर निर्भर थीं, यह NIRF रैंकिंग पर केंद्रित है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लाभ

- शिक्षा तक पहुँच में वृद्धिः यह योजना मध्यम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है, जिससे शैक्षिक अवसर व्यापक होते हैं।
- सुव्यवस्थित ऋण प्रक्रियाः विद्यालक्ष्मी पोर्टल आवेदन, अनुमोदन और ट्रैकिंग को सरल बनाता है, जिससे छात्रों के लिए पारदर्शिता और आसानी बढ़ती है।
- शीर्ष संस्थानों के लिए सहायता: NIRF-रैंक वाले संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करके, यह योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और योग्यता-आधारित अवसरों को प्राथमिकता देती है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के नुकसान

- सीमित कवरेज: यह योजना NIRF-रैंक वाले संस्थानों तक ही पात्रता को सीमित करती है, गैर-रैंक वाले या कम-ज्ञात संस्थानों के छात्रों को बाहर करती है, जिससे संभावित रूप से असमानता पैदा होती है।
- तीव्र प्रतिस्पर्धाः शीर्ष रैंक वाले कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित करने से, यह छात्रों पर प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव बढाता है, जिससे औसत शैक्षणिक प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
- उच्च ब्याज की संभावना: बैंक निम्न-रैंक वाले संस्थानों से संबंधित ऋणों के लिए उच्च ब्याज ले सकते हैं, जिससे कुछ छात्रों के लिए वित्तपोषण अधिक महंगा हो जाता है।







Page : 08 Editorial Analysis The long fight for accessibility, dignity in Indian prisons

he story of Professor G.N. Saibaba is not just one of a travesty of justice but is also a glaring indictment of the cruelty faced by prisoners with disabilities in India. His bittersweet victory came in March 2024, when he was finally exonerated after a decade behind bars. But just months later, in October 2024, he passed away.

While recounting at a press conference the unimaginable horrors he had endured during his incarceration, he described the challenges he had with even basic tasks – using the toilet, fetching water or having a bath – due to the complete lack of wheelchair accessibility at the Nagpur Central jail premises. His "anda cell" was so cramped that he had to rely on fellow inmates to lift his wheelchair, which often led to injuries.

Prisons in India have been plagued by violence, abuse, and neglect. In 1979-80, the infamous "Bhagalpur blindings" incidents, where acid was poured into prisoners' eyes, shocked the nation. In the early 1980s, the Mulla Committee report on prison reforms was released, recommending extensive measures to improve prison conditions and administration. Yet, in typical Indian policy fashion, no substantial improvements followed.

Stuffed prisons, appalling conditions

In 1996, a Bengaluru's Central Jail inmate wrote to the Chief Justice of India about deplorable prison conditions. Consequently, *Rama Murthy vs State of Karnataka* was a landmark case where the Supreme Court of India directed the government to address key issues such as overcrowding, trial delays, torture, and neglect in prisons, in line with the Mulla Committee recommendations. Again, nearly three decades later, no substantial progress has been made, evident in the current state of prisons.

Indian prisons house around 5.73 lakh people, far exceeding their capacity of 4.36 lakh, with many operating at over 100% or even 200%



Somya Jain

Research Fellow – Disability Inclusion and Access, Vidhi Centre for Legal Policy

While the general conditions of Indian prisons have always been abhorrent for all prisoners, those with disabilities face even greater challenges capacity (National Crime Records Bureau, 2022; Maharashtra Prison Department, 2024). While the conditions of Indian prisons have always been appalling, they are exacerbated for prisoners with disabilities. Prisoners with disabilities are easy targets for abuse and violence from other prisoners and prison staff. Their special needs are simply ignored when they need special assistance with essential daily activities. While the government lacks data on the number or the condition of prisoners with disabilities, there are numerous news reports highlighting the challenges they encounter. One of the most prominent examples includes Father Stan Swamy who had Parkinson's disease and was denied essential assistive items such as a straw and a sipper during his imprisonment, making it difficult for him to eat and drink.

Further, prisoners with disabilities also encounter rampant inaccessibility. A 2018 audit of the Tihar, Rohini, and Mandoli jails in Delhi conducted by the Nipman Foundation highlighted accessibility gaps such as the unavailability of functional wheelchairs, inaccessible prison cells, toilets, mulaqat rooms, and recreational spaces, and water coolers located on floors which lacked accessible entries.

Rights that are only on paper

All prisoners in India have the right to equality, freedom and life and personal liberty, as enshrined in the Constitution, a principle upheld by the Supreme Court in multiple judgments. Notably, in *Upendra Baxi vs State of U.P.* (1983), the Court affirmed that prisoners have the right to live in humane conditions with dignity.

As regards prisoners with disabilities, India has obligations under various international covenants for the protection of their rights. The Nelson Mandela Rules (2015) require prison administrations to make reasonable accommodations and adjustments for prisoners with disabilities. The United Nations Convention

on the Rights of Persons with Disabilities prohibits torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment for persons with disabilities. These obligations are reflected in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 which requires the state to protect persons with disabilities from abuse, violence, exploitation, and the denial of food and fluids. Thus, the denial of a straw and sipper to Father Stan Swamy constituted a clear violation of the law.

The Ministry of Home Affairs' Model Prison Manual (2016) also specifies dignified living conditions in prisons. In July 2024, the Ministry further issued the 'Accessibility Guidelines for MHA Specific Built Infrastructures & Associated Services for Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres' outlining detailed requirements to make prison facilities accessible.

While the rights of prisoners with disabilities, both against abuse and for accessibility, appear promising on paper, they are seldom enforced like many other pieces of social welfare legislation in India. Had the reality been different, Prof. Saibaba would not have suffered the way he did as a person with disability.

A lack of political will

Many in society believe that cruelty to prisoners is deserved, fuelling a troubling indifference that undermines the political will for prison reforms. However, the message to the state is clear: compliance with the law, in spirit and in substance, is non-negotiable. Regardless of political will, all prisoners, including those with disabilities, are the responsibility of the government. Given that 'prisons' is a State subject, State governments bear the explicit responsibility to ensure that the rights of prisoners with disabilities are upheld. It is critical that the suffering endured by Prof. Saibaba is a wake-up call for state authorities to reevaluate and reorient their attitudes toward prisoners with disabilities.

GS Paper 02 : शासन एवं सामाजिक न्याय

UPSC Mains Practice Question: भारत में विकलांग कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढाँचों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है? (150 Words /10 marks)



THE HINDU Daily News Analysis

संदर्भ:

- लेख भारत में विकलांग कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है, जिसका उदाहरण प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पीड़ा है, जो प्रणालीगत उपेक्षा और दुर्गम जेल बुनियादी ढांचे को रेखांकित करता है।
- कानूनी सुरक्षा उपायों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के बावजूद, भारतीय जेल मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं। इसके लिए कैदियों के संवैधानिक और विकलांगता अधिकारों को बनाए रखने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

भारतीय जेलों का ऐतिहासिक संदर्भ

- भारतीय जेलें लंबे समय से हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से जुड़ी हुई हैं।
- भागलपुर में अंधाधुंध हत्या (1979-80) जैसी उल्लेखनीय घटनाओं ने जेलों में प्रणालीगत क्रूरता को उजागर किया।
- मुल्ला सिमिति की रिपोर्ट (1980 के दशक) ने व्यापक जेल सुधारों की सिफारिश की, लेकिन इसके सुझावों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया।
- राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (1996) में, सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़भाड़, मुकदमे में देरी और यातना जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सुधारों का निर्देश दिया, फिर भी महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुए।

प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा का दुखद मामला

- पृष्ठभूमि: जी.एन. साईबाबा दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता थे।
- स्वास्थ्य और विकलांगता: पोस्ट-पोलियो पक्षाघात के कारण 90% शारीरिक विकलांगता के कारण वे व्हीलचेयर पर थे।
- गिरफ्तारी और आरोप: प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम)
 अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2014 में गिरफ्तार किया गया।
- 🏓 कैद: नागपुर सेंट्रल जेल में कठोर परिस्थितियों में कैद, पहुँच की कमी के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- मुक्ति: लगभग एक दशक जेल में रहने के बाद मार्च 2024 में बरी।
- मृत्यु: रिहाई के कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2024 में निधन हो गया।
- 🕩 विरासत: भारतीय जेलों में पहुँच और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों को उजागर किया।

भारतीय जेलों की वर्तमान स्थिति

- भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ है, 4.36 लाख कैदियों की तुलना में 5.73 लाख कैदी बंद हैं, जिनमें से कुछ 200% से अधिक क्षमता पर काम कर रहे हैं (एनसीआरबी, 2022; महाराष्ट्र जेल विभाग, 2024)।
- ➡ दिव्यांग कैदियों के लिए जेल की स्थिति विशेष रूप से खराब है, जिन्हें उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
- सरकार के पास विकलांग कैदियों पर व्यापक डेटा का अभाव है, लेकिन फादर स्टेन स्वामी जैसे हाई-प्रोफाइल मामले उनके संघर्ष को रेखांकित करते हैं।
- ★वामी, जिन्हें पार्किंसंस था, को स्ट्रॉ और सिपर जैसी आवश्यक वस्तुओं से वंचित रखा गया था, जिससे बुनियादी गितविधियाँ मुश्किल हो गई थीं।





जेलों में पहुँच संबंधी समस्याएँ

 दिव्यांग कैदियों को सेल, शौचालय, मुलाक़ात कक्ष और मनोरंजन क्षेत्रों जैसी सुविधाओं में प्रणालीगत दुर्गमता का सामना करना पड़ता है।

 निपमैन फ़ाउंडेशन द्वारा दिल्ली की तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों के 2018 के ऑडिट में कार्यात्मक व्हीलचेयर और सुलभ बुनियादी ढाँचे की कमी का पता चला।

कैदियों के अधिकार: कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

 कैदियों को भारतीय संविधान के तहत समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार है, जिसे उपेंद्र बक्सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

 नेल्सन मंडेला नियम (2015) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे विकलांग कैदियों के लिए मानवीय उपचार और सुलभता को अनिवार्य बनाते हैं।

▶ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में दुर्व्यवहार और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करने से सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसका फादर स्टेन स्वामी के मामले में उल्लंघन किया गया था।

 गृह मंत्रालय के मॉडल जेल मैनुअल (2016) और सुगम्यता दिशानिर्देश (2024) सुगम्यता आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन कमजोर है।

निष्कर्ष: राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सुधार की तत्काल आवश्यकता

- कैदियों के कल्याण के प्रति सामाजिक उदासीनता सुधारों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को बढ़ावा देती है।
- विकलांगों सहित कैदी राज्य की जिम्मेदारी हैं, और कानूनों का अनुपालन अपिरहार्य है।
- ▶ प्रोफेसर साईबाबा जैसे मामले की त्रासिदयों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकारों को जेलों में मानवीय व्यवहार और पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।